WitnessNo.....25.....for.....अभियोजन साक्षी.....

साक्षी क्रमांक 25 रामअवतार सिंह का साक्ष्य लगातार ।

साक्षी को आज दिनांक 08.08.2026 को समय 02.35 बजे शपथ दिलायी जाकर पुनः परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

// राज्य द्वारा श्री केशव प्रसाद रजक, एडीपीओ //

(30) जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक 02 करोड 33 लाख के लगभग आरोपी ललित के खाते में गया था । उक्त राशि अलग अगल तिथियों को कभी 10 लाख कभी 09 लाख के रूप में दिया गया है ।

(31) उक्त अवधि में लगभग 300 मोटर सायकल वाहनों को चोलामंडलम कंपनी से फायनेंस हुआ था , जिसमें से 110 वाहनों में गडबडी हुई थी । हमारे कंपनी के द्वारा आरोपी ललित के खाते में की गयी ट्रेड एडवांस की राशि का बैंक खाता स्टेटमेंट पुलिस को दी गयी थी । पुलिस को दी गयी स्टेटमेंट **प्रपी 203** है जो कुल 19 पन्नों में है , जिसके समस्त पृष्ठ पर कंपनी के सील मुद्रा सहित संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर है ।

(32) स्टेटमेंट के प्रथम कॉलम पर दिनांक उल्लेखित है , द्वितीय कॉलम पर DO नंबर (डिलीवरी आर्डर नंबर) , तीसरे कॉलम पर एप्लीकेशन नंबर तथा चौथे कॉलम पर ग्राहक जिसका डीलर से दोपहिया वाहन की फायनेंस की गयी हो, पांचवे कॉलम पर टीए अमांउट से ग्राहक को की गयी फायनेंस राशि, छठवें कॉलम पर टीए अमांउट का शेष राशि

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL

है तथा अंतिम कॉलम पर कंपनी तथा फायनेंस कराने वाले ग्राहक के मध्य अनुबंध नंबर है ।

(33) ट्रेड एडवांस एग्रीमेंट प्रपी 47 के गॉरेंटर के रूप में स से स भाग पर आरोपी ललित की पत्नी श्रीमती ज्योति सिंह के हस्ताक्षर है ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री मधु तिवारी वास्ते आरोपीगण मो० रहमान, कन्हैया, सूरज एवं चंद्रभान//

(34) कुछ नहीं ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री रामकुमार चौरसिया वास्ते आरोपी सुनील कुमार कश्यप//

(35) कुछ नहीं ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री एस०के० गुप्ता वास्ते आरोपी ललित सिंह ठाकुर//

(36) यह कहना सही है कि सुनील कश्यप को हमारी कंपनी की ओर फायनेंस कार्य के लिए ललित शोरूम में अधिकृत किया गया था । उक्त कम चारी का काम डीलर से दस्तावेज से वेरीफिकेशन करा कर फायनेंस कंपनी में लोन कार्यवाही अग्रसर करना होता था । मेरे हिसाब से वेरीफिकेशन का काम डीलर और सुनील कश्यप का था ।

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL

(37) साक्षी को प्रपी 47 का टीए एग्रीमेंट के दस्तावेज दिखाकर यह पूछे जाने पर कि उक्त एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि वेरीफिकेशन का काम डीलर का है, तो साक्षी उक्त एग्रीमेंट के हाईलाईटेड भाग को पढकर बताता है कि उक्त तथ्यात्मक शब्दावली का अर्थ यही है कि सभी दस्तावेज को बारोवर स्क्रूटनी करके समस्त दस्तावेज प्राप्ति के सात दिवस के भीतर लैंडर को प्रदान करेगा, जिसका अर्थ यही होता है कि डीलर ही और कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्ति अर्थात आरोपी सुनील कश्यप ही वेरीफिकेशन का काम करेंगे , स्वतः कहा कि नियुक्त कर्मचारी बदलते रहने से प्रतिस्थापित कर्मचारी उक्त अग्रिम कार्यवाही करते रहता है ।

(38) यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेज प्रपी 47 में उक्त हाईलाईटेड भाग में यह कहीं भी शब्द रूप में उल्लेखित नहीं है कि डीलर ललित शोरूम अथवा आरोपी सुनील कश्यप द्वारा उक्त वेरीफिकेशन का काम किया जावेगा ।

(39) आरोपी सुनील कश्यप के द्वारा फायनेंस दस्तावेज तैयार कर पण्डरिया शाखा में पदस्थ क्रेडिट एक्जीक्यूटीव चंद्रकुमार चंद्रवंशी के द्वारा किया जाता था ।

(40) साक्षी से पूछे जाने पर कि चंद्रकुमार चंद्रवंशी का क्या काम होता था, तो साक्षी कहता है कि चंद्रकुमार चंद्रवंशी का काम डीलर और सुनील

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL

कश्यप के द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों को ऋण स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को भेजता था । यह कहना सही है कि चंद्रकुमार चंद्रवंशी उक्त प्राप्त दस्तावेजों को वेरीफिकेशन करके उपर भेजता था ।

(41) यह कहना सही है कि फायनेंस से पूर्व ग्राहक और कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है जिस पर केवल ग्राहक और कंपनी का ही हस्ताक्षर होता है । यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेज को तैयार करने का काम सुनील कश्यप करता था , स्वतः कहा कि डीलर के द्वारा प्रस्तुत ग्राहक को सुनील कश्यप के द्वारा कंपनी से तय एग्रीमेंट निष्पादित कराता था चूंकि ग्राहक टीए के तहत होता था ।

(42) यह कहना सही है कि ग्राहक का मोबाईल नंबर, केवाईसी, आधार कार्ड और बैंक खाता का वेरीफिकेशन करने के बाद ही कंपनी फायनेंस करता था, स्वतः कहा कि सुनील कश्यप के द्वारा डीलर के द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों को प्राप्त कर वेरीफिकेशन करता था ।

(43) यह कहना सही है कि फायनेंस करते समय ग्राहक के मोबाईल नंबर में OTP आता है, उसके बाद फायनेंस के लिए अग्रसर होते हैं । यह कहना सही है कि उक्त OTP नंबर हेड चोलामंडलम कंपनी के द्वारा प्रेषित किया जाता है । यह कहना सही है कि ओटीपी नंबर आ जाने के उपरांत फायनेंस राशि खाते में चली जाती है ।

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL

(44) मैं आज नहीं बता सकता कि संपूर्ण 110 गाडियों का OTP नंबर जनरेट हुआ था अथवा नहीं , उक्त सभी 110 गाडियों के ग्राहकों के पृथक पृथक 110 मोबाईल नंबर है ।

(45) साक्षी से यह पूछे जाने पर कि दस्तावेज प्रपी 47 में ज्योति सिंह के हस्ताक्षर होना किस आधार पर होना बता रहे हैं तो साक्षी कहता है कि कंपनी में संधारित रिकार्ड के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी लिये जाने के उपरांत मैं उक्त हस्ताक्षर ज्योति का होना बताता हूं ।

(46) यह कहना सही है कि प्रपी 47 के अतिरिक्त अन्य ऐसे कोई भी दस्तावेज फायनेंस कंपनी में संधारित नहीं थे , जिससे प्रश्नगत दस्तावेज प्रपी 47 के हस्ताक्षर से मिलान किया गया ।

(47) यह कहना गलत है कि ट्रेड एडवांस की राशि ललित को कर्ज के रूप में दिया जाता था, जिसका वह ब्याज भी देता था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि एग्रीमेंट के अनुसार निश्चित समय में उक्त ट्रेड एडवांस की राशि का फायनेंस नहीं किया जाता है तब एक माह पश्चात ब्याज के रूप में वापस करने का एग्रीमेंट में उल्लेख है जिसका समाधान आर्बीट्रेशन के माध्यम से किये जाने का उल्लेख है, तो साक्षी कहता है कि ट्रेड एडवांस की राशि वाहन फायनेंस करके अदा नहीं की जाती

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL

है तो तय समय पश्चात उक्त राशि की वापसी नहीं होती है तो संबंधित विवाद का निपटारा आर्बीट्रेशन से होता है ।

(48) यह कहना गलत है कि सुनील कश्यप द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज को चंद्रकुमार चंद्रवंशी के पास भेजता था जिसे अश्वनी साहू जांच करता था । यह कहना गलत है कि अश्वनी साहू के द्वारा जांच करने के उपरांत सुबोध फाय तथा टीकम सिंह के द्वारा उक्त दसतावेजों के जांच के उपरांत ऋण स्वीकृति प्रदान की जाती थी ।

(49) यह कहना सही है कि हमारी कंपनी चोलामंडलम RBI से पंजीकृत संस्था है । यह कहना सही है कि आर बी आई के नियमों का पालन करती है । यह कहना सही है कि हमारी कंपनी किसी वाहन को फायनेंस करने के पूर्व दोपहिया वाहन में उक्त ग्राहक का सिबिल जांच नहीं किया जाता है । मुझे आज इस बात जानकारी नहीं है कि चोलामंडलम कंपनी के द्वारा दोपहिया वाहन के फायनेंस के पूर्व ग्राहकों का सिबिल देखा जाता है या नहीं मैं कपंनी के दस्तावेज देखकर ही बता सकता हूं । आपको कंपनी के फायनेंस संबंधी नियम एवं शर्तों की जानकारी है या नहीं , तो साक्षी कहता है कि कुछ जानता हूं कुछ नहीं जानता ।

(50) यह कहना सही है कि सुनील कश्यप का बयान पुलिस वाले मेरे समक्ष नहीं लिये थे । मुझे आज दिनांक को याद नहीं है कि आरोपी सुनील

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL

कश्यप का बयान लिया जाना है इस हेतु मुझे कोई लिखित नोटिस पुलिस वालों से प्राप्त हुआ था या नहीं । मैं आज नहीं बता सकता कि पुलिस वालों ने मुझे कितने स्थानों पर हस्ताक्षर कराया था ।

(51) साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपको गडबडी के संबंध में जानकारी होने पर सुनील कश्यप के विरूद्ध में आपने क्या क्या कार्यवाही किया, तब साक्षी कहता है कि थाना पण्डरिया एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ललित सिंह एवं सुनील कश्यप के विरूद्ध लिखित शिकायत किया गया था । आवेदन नवंबर 2023 तथा फरवरी 2024 में दिया गया था । यह कहना गलत है कि लिखित शिकायत हमारे द्वारा पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

(52) यह कहना गलत है कि हमारे कंपनी के द्वारा एक शिकायत केवल ललित के विरूद्ध की गयी थी , स्वतः कहा कि ललित तथा सुनील दोनों के विरूद्ध शिकायत की गयी थी । यह कहना गलत है कि कंपनी के द्वारा की गयी शिकायत को फर्जी मानकर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी । यह कहना सही है कि चोलामंडल कंपनी के शिकायत के आधार पर एफ आई आर दर्ज नहीं हुआ था ।

(53) यह कहना सही है कि चोलामंडल कंपनी के शिकायत पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं किये जाने के उपरांत न्यायालय में हस्तगत न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था । यह कहना सही है कि हमारे

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL

परिवाद को हस्तगत न्यायालय द्वारा निरस्त एवं उक्त परिवाद के अपील को माननीय अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया था ।

(54) यह कहना सही है कि प्रार्थी ललित सिंह के शिकायत के आधार पर यह प्रकरण चल रहा है । यह कहना गलत है कि संपूर्ण फर्जीवाडे में आरोपी ललित सिंह का कोई हाथ नहीं है केवल सुनील कश्यप एवं चोलामंडल के कंपनी विभाग का है । यह कहना गलत है कि उक्त घटना कंपनी की लापरवाही के कारण घटित हुई है ।

(55) यह कहना गलत है कि मैं ललित सिंह को फंसाने के आशय से आज मिथ्या कथन कर रहा हूं ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 03.50 बजे

साक्षी को उसका कथन पढकर सुनाये जाने पर उसने कथन सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/-
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पंडरिया, कबीरधाम (छ०ग०)

ALOK KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by ALOK KUMAR AGRAWAL

सही/-
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पंडरिया, कबीरधाम (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर.....